(1)

संख्याः–शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस–16/2019–सामान्य निर्देश
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001

शिक्षा निदेशालय उच्चतर स्मरण पत्र–1

12 MAR 2020

07 मार्च, 2020

समस्त उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में लिये जाने वाले फीस व फंड का विवरण नोटिस बोर्ड पर दर्शाने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में इस निदेशालय के पत्र संख्याः सम् दिनांक 05.12.2019 व 18.01.2020 के अन्तर्गत आपको समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) के माध्यम से आगामी शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व समस्त अभिभावको को आमन्त्रित कर पाठशाला में सामान्य सभा (General House) का आयोजन करने तथा सामान्य सभा में समस्त अभिभावकों की सहमति से आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस व फण्ड के बारे विचार विमर्श करने व सामान्य सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस व फण्ड का पूर्ण विवरण (Break-up) सहित कक्षा वार पुस्तकों की सूची अभिभावको की सुविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करने, समस्त निजी स्कूलों को बिना उचित अनुमति के स्कूलों में किताबे, कापियॉं, बर्दी व जूते आदि न बेचने तथा किसी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियॉं, बर्दी व जूते आदि खरीदने पर बाध्य न करने, किसी भी स्कूल द्वारा छात्रों को स्कूल के प्रतिक चिन्ह (Logo) वाली कितावें/कापियॉं लेने के लिए बाध्य न करने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार पाठशाला प्रबन्धन द्वारा छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अवसंरचना निधि (Building fund, Development fund & infrastructure fund) न बसुलने, शैक्षणिक सत्र 2019–20 में लिये गये फीस व फण्ड सहित सामान्य सभा में आगामी शैक्षणिक सत्र (2020-21) के लिए निर्धारित फीस व फण्ड (मासिक व वार्षिक) का कक्षा वार विवरण सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित विभाग को प्रेषित करने के निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये थे। परन्तु इस निदेशालय में शिकायतें सेवा संकल्प व अभिभावक छात्र मंच के माध्यम से शिकयतें प्राप्त हो रही है कि निजी स्कूलों द्वारा बिना सामान्य सभा का आयोजन किये अपनी मर्जी से फीस व फण्ड की बढोतरी की जा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि आप अपने–अपने कार्यक्षेत्र में संचालित समस्त स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को निर्देश जारी करे कि कोई भी स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए जनरल हाउस में पारित प्रस्ताव के बिना फीस व फण्ड का निर्धारण न करे तथा निजी स्कूल प्रमुखों को उक्त निर्देशों का पालन करने व समस्त निजी स्कूलों को अनुपालना रिपोर्ट आपके कार्यालय को प्रेषित करने के आदेश जारी करें तथा स्कूलों से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट समेकित रूप में शीघ्र–अतिशीघ्र इस निदेशालय को प्रेषित करे।

(signature)
निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।
मार्च, 2020

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला– 171001,
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित हैः

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त निजी स्कूल प्रमुखों/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिये जाते है कि उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन करे तथा अनुपालना रिपोर्ट आगामी सत्र आरम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित जिला के उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा) को प्रेषित करे।
3. अधीक्षक कम्पयूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय को विभागिय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षक नस्ति ।

(signature)
निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

Endst No:- EDN-U-(A-II) Pvt School -16783-D† REMINER-II
office of the Dy. Director Higher Education Una Dated-18/3/2020
Forwarded in original to all the Principal/HM of the Private SSS/HS in Una Distt for information & strict compliance. Any laxity will be viewed seriously. Submit the report by 20-03-2020 through special messenger.

(signature)
Dy. Director Hr. Education
Una Distt Una (H.P)